

## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठसीन अधिकारी का नाम-रुक्मिणी रियास सिद्दहाग,आई ए.एस.

प्रकरण संख्या:-13/2022 विविध (धारा 14 सिक्योरिटीइजेशन)

इविक्टारस स्मॉल फार्डेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय अन्ना सलार्ड, चैन्ई तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एण्ड इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर।

---प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति रोशनी पत्नी सोहन लाल पता-टेम्पो स्टेण्ड के पास, नई खुंजा, वार्ड नं. 02, गली नं. 01 जिला हनुमानगढ़-335512।  
---ऋणी
2. श्री राजकुमार पुत्र सोहनलाल पता-टेम्पो स्टेण्ड के पास, नई खुंजा, वार्ड नं. 02, गली नं. 01 जिला हनुमानगढ़-335512।
3. श्रीमती रजनी पत्नी राजकुमार पता-टेम्पो स्टेण्ड के पास, नई खुंजा, वार्ड नं. 02, गली नं. 01 जिला हनुमानगढ़-335512।
4. श्री नन्द पुत्र सोहनलाल पता-टेम्पो स्टेण्ड के पास, नई खुंजा, वार्ड नं. 02, गली नं. 01 जिला हनुमानगढ़-335512।
5. श्री विजय पुत्र सोहनलाल पता-टेम्पो स्टेण्ड के पास, नई खुंजा, वार्ड नं. 02, गली नं. 01 जिला हनुमानगढ़-335512।
6. श्रीमती माया पत्नी नन्द राम पता-टेम्पो स्टेण्ड के पास, नई खुंजा, वार्ड नं. 02, गली नं. 01 जिला हनुमानगढ़-335512।  
.....सहऋणी



प्रार्थना पत्र अन्नागत धारा 14 वित्तीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002।

आदेश

दिनांक:-22.03.2023

प्रार्थी इविक्टारस स्मॉल फार्डेन्स बैंक लिमिटेड, जिसका शाखा कार्यालय होटल एण्ड इन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर-302019, राण. में स्थित व कार्यरत है तथा जिसका पंजिकृत कार्यालय चौथी मंजिल, फेज-11, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलार्ड, चैन्ई-600002 तमिलनाडू है। प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री संदीप सिंह है।

प्रार्थी इविक्टारस स्मॉल फार्डेन्स बैंक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री गुरप्रीतपाल सिंह व रमेश स्वामी वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने दिनांक 22.01.2018 को अप्रार्थीगण को ऋण खाता संख्या SEHNUN0157790 में ऋण राशि रूपये 3,42,000/- (अब्धरे तीन लाख बियालिस हजार रूपये) की ऋण सुविधा दिनांक 30.07.2018 को स्वीकृत की

गई थी। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण आदायगी हेतु गारन्टी के रूप में अप-नी अवल सम्पत्ति-सर्व सख्या 783/02/2004, कच्ची बरती, सेक्टर नई खुजा गार्ड नं. 02 तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है जो श्रीमती शेखनी देवी पत्नी श्री सोहनलाल क नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 990 वर्गफीट या 110 वर्गगज है जिसको आवश्यक दरतावेजों का निषादन करके प्राथी बैंक के पक्ष में सांशिक संगक किया।

अप्रार्थीगण ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण पर व्याज और ऋण को ऋण अनुबन्ध की प्रती के अनुसार समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के ऋण खाता का बैंक द्वारा नियमानुसार दिनांक 24.09.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में (एनपीए) वर्गीकृत कर दिया गया है।

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के तहत प्राथी बैंक ने अप्रार्थीगण को मांग नोटिस दिनांक 27.09.2021 रजिस्टर्ड डाक से भेज कर बकाया ऋण राशि 2,86,021/- (अखरे दो लाख छियासी हजार इककीस रुपये) दिनांक 24.09.2021 तक एवं इसके परचात का ब्याज व खर्च अतिरिक्त का भुगतान 60 दिवस के भीतर करने की मांग की गई। प्राथी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के परचात भी अप्रार्थीगण द्वारा प्राथी बैंक की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बाबजूद मांग के प्राथी बैंक को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्राथी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन शुदा बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राथी बैंक द्वारा लिया जाना है। प्राथी बैंक को भौतिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्राथी बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का महन्ता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्राथी बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर प्राथी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित करना पाया गया। इसके परचात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्राथी बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्राथी बैंक के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्राथी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्राथी बैंक के पास रहन रखी अवल सम्पत्ति-सर्व संख्या 783/02/2004, कच्ची बरती, सेक्टर नई खुजा गार्ड नं. 02 तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है जो श्रीमती शेखनी देवी पत्नी श्री सोहनलाल के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 990 वर्गफीट या 110 वर्गगज है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्राथी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्राथी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता सर्वधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करावाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल तपतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2023 को भेरे द्वारा हिराया जाकर सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट  
हनुमानगढ़